DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288
E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

REF: DSIL/2024-25/206 November 05, 2024

Corporate Relationship Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Fax: 22723 2082 /3132

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra – Kurla Complex,
Bandra [E], Mumbai - 400 051

Scrip Code - 532610

Scrip Code – DWARKESH

Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject and pursuant to **Regulation 30 read with Part A of Schedule III** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (SEBI LODR), details with respect to the penalty imposed by Excise Commissioner Office Prayagraj are provided below:

The Company has received an order on November 05, 2024 ("Order") from Excise Commissioner Office Prayagraj levying a penalty of ₹ 1,30,000/- (One Lakh Thirty Thousand Only) on the Company, under Molasses Low recovery in season 2022-23. Please refer to **"Annexure – A".**

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

For **Dwarikesh Sugar Industries Limited**

BALKISHAN JAWARILAL MAHESHWARI

Digitally signed by BALKISHAN JAWARILAL MAHESHWARI
Date: 2024.11.05 16:52:05 +05'30'

B J MAHESHWARI
Managing Director & CS cum CCO
DIN: 00002075

Encl: as above

DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288
E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

Annexure – A".

Disclosure as per Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Name of the authority(s)	Excise Commissioner's Office Prayagraj, Uttar Pradesh
Nature and details of the action(s)	Imposition of fine or penalty of ₹ 1,30,000/- (One Lakh Thirty Thousand Only) on Dwarikesh Dham Unit, Dist. Bareilly, Uttar Pradesh
Date of receipt of communication from the authority	November 05, 2024
Details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed;	**Against Molasses Low recovery in season 2022-23 Online Challan Head – 003900150010000-01**
Impact on financial, operation or other activities of the listed entity, quantifiable in monetary terms to the extent possible.	To the Extent of Penalty levied.

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश

मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0, (आसवनी) द्वारिकेश धाम, जनपद–बरेली के कमिक आउट टर्न के तीन प्रकरणों में किण्वीय शर्करा के आधार पर शीरे से रिकवरी निर्धारित अल्कोहल की सीमा तक नहीं प्राप्त की गई है। उक्त कमिक आउट टर्न की संख्या, आउट टर्नवार उपभोग की गयी शीरे की मात्रा विभागीय प्रयोगशाला द्वारा घोषित किण्वीय शर्करा का प्रतिशत, प्रति कुण्टल किण्वीय शर्करा से अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन, निर्धारित मानक के अनुसार उत्पादन, कम उत्पादित अल्कोहल की मात्रा का विवरण निम्नवत है :–

क0 सं0	सी0ओ0 टी0 / बैच संख्या	वर्ष	प्रयुक्त माल्ट की मात्रा (कु0में)	एफ0 एस0 प्रतिशत में	एफ0 एस0 की मात्रा (कु0में)	मानक के अनुसार उत्पादन (ए0एल0में)	अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन (ए0एल0में)	अन्तर (ए0एल0में)	रिकवरी प्रतिशत में
1	1,2,3	2022-23	18250	50.08	9139.60	479829.00	471503.30	-8325.70	51.59
2	4,5,6	2022-23	22850	50.32	11498.12	603651.30	593150.50	-10500.80	51.59
3	10,11,12	2022-23	43000	50.14	21560.20	1131910.50	1102360.40	-29550.10	51.13

नियमानुसार आसवक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। परीक्षणोपरान्त आसवक का स्पष्टीकरण आसवनी के प्रभारी अधिकारी तथा संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया। आसवक को इस कार्यालय के पत्र सं0–4740/दो–प्रा0डी–26/2005–06/प्रयागराज/दिनांक 16.10.2024 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए, व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2024 की तिथि निर्धारित की गयी। उक्त तिथि को उक्त कमिक आउट टर्न के समय आसवनी के प्रतिनिधि श्री राम सागर वर्मा, असिस्टेंट मैनेजर उपस्थित हुए। श्री वर्मा को उक्त कमिक आउट टर्नों के प्रकरणों में अलग–अलग सुना गया। श्री वर्मा ने आसवनी का पक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि "प्लांट में प्रोसेस किए गये शीरे में संकमण था, हालांकि हमने बायोसाइड डालकर नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गयी, किन्तु शीरे के संक्रमण ने किण्वन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जिसके कारण अल्कोहल के उत्पादन में मामूली कमी आई है एवं निर्धारित मानक के अनुसार अल्कोहल का उत्पादन नहीं हो सका।"

आसवक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि अल्कोहल से रिकवरी का आधार फरमेन्टेबुल शुगर है। आसवक को नियमानुसार 52.5 ए0एल0 अल्कोहल प्रति कुण्टल फरमेन्टेबुल शुगर के आधार पर रिकवरी देना उनका व्यक्तिगत दायित्व है। अतः उनका स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (आठवॉ संशोधन) निमयावली, 2009 के अनुसार शीरे में उपस्थित प्रति कुण्टल शर्करा से न्यूनतम् 52.5 ए0एल0 अल्कोहल के उत्पादन का मानक निर्धारित किया गया है। उक्त नियमावली के नियम–15(ख)(2) के अनुसार निर्धारित सीमा से कम अल्कोहल का उत्पादन करने पर आसवनी पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन आरोपित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त आसवनियों के लाइसेंस को रद्द व जमा प्रतिभूति समपहरण किये जाने का भी प्राविधान है ।

मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0, (आसवनी) द्वारिकेश धाम, जनपद–बरेली द्वारा सुनवाई के समय पत्र दिनांकित 17.10.2024 प्रस्तुत करते हुए लो रिकवरी के उक्त प्रकरणों को प्रशमित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त तीनों प्रकरणों में आसवक उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना)(आठवॉ संशोधन) निमयावली, 2009 के प्राविधानों व उ0प्र0आबकारी अधिनियम, 1910 के संबंधित प्राविधानों के उल्लंघन के दोषी पाये जाते हैं। अतः आसवक पर उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा–74ए के अन्तर्गत कम अल्कोहल उत्पादन करने पर उक्त तीनों कमिक आउट टर्नो के प्रकरणों के लिए निम्नवत दण्ड की धनराशि आरोपित की जाती है। साथ ही साथ आसवनी द्वारा पी0डी0–2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत जमा प्रतिभूति धनराशि में से निम्नवत् धनराशि उक्त नियमावली के नियम–15 (ख)(2)के अन्तर्गत जब्त की जाती है :–

क्र0सं0	क्रमिक आउट टर्न संख्या / वर्ष	रिकवरी (ए0एल0 / क्यू0एफ0एस0)	दण्ड की आरोपित धनराशि (रू0)	जमा प्रतिभूति से जब्त की गयी धनराशि (रू0)
1.	1,2,3/2022-23	51.59	20,000/—	20,000/—
2.	4,5,6/2022-23	51.59	20,000/—	20,000/—
3.	10,11,12/2022-23	51.13	25,000/—	25,000/—
	योगः—		**65,000/—**	**65,000/—**

कुल दण्ड की आरोपित धनराशि रू0 65000/—(पैंसठ हजार मात्र) एवं जमा प्रतिभूति धनराशि से जब्त की गयी धनराशि रू0 65000/—(पैंसठ हजार मात्र)।

इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए चेतावित किया जाता है कि यदि आसवक द्वारा अल्कोहल की रिकवरी में 6(छः) माह के अन्दर सुधार नहीं किया जाता है तो आसवनी का पी0डी0—2 अनुज्ञापन निरस्त करने के साथ—साथ जमा प्रतिभूति राशि का समपहरण करने के आदेश पारित किये जा सकते हैं। अतएव अल्कोहल की रिकवरी में सुधार लाने के लिए वे अपने संयंत्रों में अपेक्षित सुधार अविलम्ब करें, जिससे मानक के अनुरूप उत्पादन होने लगे ।

आसवकों को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश पारित होने के पन्द्रह दिवस के अन्दर उपरोक्त दण्ड की धनराशि रू. 65000/—(पैंसठ हजार मात्र) स्थानीय कोषागार में जमा करने के साथ—साथ प्रतिभूति धनराशि से जब्त की गयी धनराशि रू0 65000/—(पैंसठ हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति भी आसवक द्वारा की जायेगी। उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये ।

24.10.24

(डा0 ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश

संख्याः: 2836-41 /दो—प्रा0डी0—26/2005—06/लो रिकवरी/प्रयागःदिनांकःअक्टूबर 25 2024

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि आदेशानुसार दण्ड की आरोपित धनराशि को लेखा शीर्षक—0039, राज्य उत्पाद शुल्क, 150—जुर्माना एवं जब्तियों के मद में 15 दिवस के अन्दर ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा कराकर चालान की मूल/प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेः—

1— जिलाधिकारी बरेली।
2— उप आबकारी आयुक्त बरेली प्रभार बरेली।
3— जिला आबकारी अधिकारी जनपद बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जमा ट्रेजरी चालान को अनुरक्षित जी—6 पंजिका से सत्यापन कर अवगत कराये।
4— प्रभारी आबकारी निरीक्षक/सहायक आबकारी आयुक्त सम्बन्धित आसवनी।
5— मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0, (आसवनी) द्वारिकेश धाम, जनपद—बरेली।

25/10/2024

(संजय गुप्ता)
सहायक आबकारी आयुक्त,प्राविधिक अनुभाग
कृते अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन),उ0प्र0